दिनांक–02.04.2025 को निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उत्तरी बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (2) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (3) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (4) श्रीनिवास सिंह, राज्य क्वालिटी मॉनिटर
   (5) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:–

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के उत्तरी बिहार के 21 जिलों में कुल 224 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी उत्तरी बिहार के 15 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन:–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्तरी बिहार में कुल 175 ग्राम पंचायतों की भूमि समस्याग्रस्त है। जिनमें पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्णियां एवं पश्चिम चम्पारण को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक सप्ताह स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फेज–1 में जिला मधेपुरा एवं सारण का एवं फेज–2 में समस्तीपुर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है इन सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि Installation against Work Order में तेजी लाना सुनिश्चित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा सही से कार्य नहीं किया जा रहा है, वो विभाग को पत्र के माध्यम से एजेंसी बदलने का अनुरोध कर सकते है।

उक्त जिलों को निदेशित किया गया कि जो एजेंसी समय पर कार्य नहीं कर रही है, उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न् भुगतान का अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद् समस्तीपुर, पूर्णियां एवं दरभंगा में प्राप्त अनुदान की राशि के विरूद्ध खर्च की गयी राशि का प्रतिशत सबसे कम है। है। इन सभी जिलों को खर्च में यथाशीघ्र वृद्धि करने का निदेश दिया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि के आलोक में उत्तरी बिहार के जिला परिषदों के द्वारा e-Gramswaraj Yojana पर मात्र 27.41 %, पंचायत समिति के द्वारा 61.67 % एवं ग्राम पंचायत के द्वारा 68.83 % राशि का ही व्यय किया गया है। जो चिंता का विषय है। जिसमें शत् प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

IV. TA & AC का रोस्टर की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना, मगध, सारण, भागलपुर, कोशी एवं पूर्णियां प्रमंडल के द्वारा TA & AC के रोस्टर बिन्दु से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। परन्तु, तिरहुत, दरभंगा एवं मुंगेर (मुंगेर एवं जमुई जिलों से प्राप्त) प्रमंडल से TA & AC के रोस्टर अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने–अपने जिलों का रोस्टर बिन्दु प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला जिला सारण में 03, सिवान एवं वैशाली में 02-02 तथा मधेपुरा, पूर्णियां, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण में 01-01 MJC लंबित है। सभी CWJC/MJC मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. RTPS की अद्यतन स्थितिः–

RTPS के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण के 37 पंचायतों में तथा सिवान, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के कुछ पंचायतों में विभिन्न समस्याओं के कारण आवेदनों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि पंचायतों में लॉग–इन से संबंधित समस्या को यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। कुछ जिलों के पंचायतों में प्राप्त आवेदनों की संख्या 10 से कम है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। इस सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि आवेदनों की प्राप्ति में वृद्धि किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

(क) उत्तरी बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सिवान, दरभंगा एवं सारण जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता

लगातार.....

प्रमाण–पत्रों की स्थिति देख लें तथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु कार्रवाई करें।

(ख) **अंकेक्षण की स्थिति** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलों में वर्तमान में किये जा रहे ऑडिट ऑनलाईन एवं सी0ए0फर्मो से संबंधित अंकेक्षण में प्रगति लाते हुए अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेशित किया गया।
अंकेक्षण कार्यों में लापरवाही बरतने पर सभी संबंधितों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। साथ ही लोक लेखा समिति से संबंधित आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
(आनन्द शर्मा)
निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प0/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/5043/पं0रा0 पटना, दिनांक09/4/2025
प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प0/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/5043/पं0रा0 पटना, दिनांक09/4/2025
प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प0/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/5043/पं0रा0 पटना, दिनांक09/4/2025
प्रतिलिपिः–श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव